कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (o) - 06541- 222303 E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 2053 दिनांक 07/08/2021

सेवा में

परियोजना पदाधिकारी,
आम्रपाली O.C.P.,
C.C.L. टण्डवा, चतरा।

विषयः— आम्रपाली O.C.P. फेज—II में 431.59 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः— इस कार्यालय का पत्रांक 1769 दिनांक 16.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र द्वारा विषयगत परियोजना का प्रस्ताव वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चतरा को भेजी गई थी। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पत्रांक 792 दिनांक 31.07.2021 द्वारा समर्पित प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 837 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश का अनुपालन नही होने के कारण प्रस्ताव वापस किया गया है। अनुपालन किया जाना है वो निम्नवत है—

1. मेनुअल फॉर्म ए पार्ट—1 एवं एन0पी0भी0/क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु राशि जमा करने से संबंधित बचनबद्धता प्रमाण—पत्र जिस पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर उसे परिवेश पोर्टल के ऑन—लाईन पार्ट—1 में Additional Document में अपलोड किया जाय।
2. अपयोजित होने वाले वनभूमि में प्रभावित वृक्षों का संयुक्त वृक्षों की गणना सूची में कुल Enumerated प्रजातिवार वृक्षों की संख्या तथा उनमें से वृक्षों के पातन अनिर्वाय रूप में किये जाने की संख्या संबंधित गणना सूची में प्रतित होना आवश्यक है एवं संबंधित गणना सूची की की सत्यापित प्रति परिवेश पोर्टल के ऑन—लाईन पार्ट—1 में Additional Document में अपलोड किया जाय।
3. मौजा जोजवारी मे क्षतिपूरक वन रोपण हेतु स्थल का नक्शा में प्लॉट नं0— 88 भी अंकित है, परन्तु इस स्थल का तैयार डी0जी0पी0एस0 मैप में उक्त प्लॉट नं0 अंकित नही किया गया है, उसे अंकित किया जाय। इसी प्रकार मौजा कटिया में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु तैयार डी0जी0पी0एस0 मैप पर प्लॉट संख्या— 175 अंकित नही है इसे भी अंकित किया जाय।
4. मौजा कटिया, महुदा, रमटुंडा, माली, पितीजी एवं परवानी में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल के अनुरूप Geo-refrence Map तैयार नही किया गया है। दोनो में काफी भिन्नता है इसमें सुधार की आवश्यकता है।
5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु तैयार Geo-refrence Map में प्रस्तावित स्थल को किसी भी रंग से हैचिंग करते हुए Index में दर्शाया जाना अनिवार्य है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

अतः उल्लेखित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु ऑन—लाईन एवं ऑफ—लाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करें, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन्
07/8/2021
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

6/8/2021